

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 2/5/18
फैसल दि० 2/5/18

श्री सुशीला पति शान्तीलाल अनवान
बनाम

श्री धारी सहगलदा
सागवाडा

(वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री सुशीला पति शान्तीलाल ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा 214 के खाता नम्बर 908 जमाबन्दी सं० 2073-76

में अंकित स्वयं/पिता का नाम सुशीला
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है

। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम सुधा

है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम सुशीला
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम सुधा
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा 214 की जमाबन्दी संवत् 2073-76 के

खाता संख्या 908 में खातेदार/सहखतेदार का अंकित गलत नाम
सुशीला में संशोधन कर सही नाम सुधा

दर्ज रेकार्ड किया जावे।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा